राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकःप.10( )सर्त./C.M. Helpline/राजसम्पर्क/आईसीडीएस/2017/ 48084-420 जयपुर, दिनांकः 28-3-18

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

विषयः—सम्पर्क हैल्पलाईन 181 पर परिवेदना निस्तारण की प्रगति के सम्बन्ध में।

यह है कि मुख्यमन्त्री हेल्पलाईन/राज.सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के लिए विभागीय परिपत्र संख्या 11574–910 दिनांक 16.01.2018 जारी किया गया था, किन्तु आप द्वारा उक्त परिपत्र में अंकित बिन्दुओं की पालना नहीं की जा रही है। इसलिए काफी संख्या में प्रकरण L-3 व L-4 पर स्वतः अग्रेषित हो गए है।

उक्त परिवादों के निस्तारण हेतु सम्पर्क पोर्टल पर टिप्पणियां भी अंकित की जाकर, परिवादों के समुचित प्रत्युत्तर मय दस्तावेजात के अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, साथ ही बार–बार दूरभाष पर भी सम्पर्क कर, परिवादों के निस्तारण हेतु कहा गया है, किन्तु आप द्वारा इन परिवादों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सचिव महोदया द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है। साथ ही सचिव महोदया द्वारा दि. 2.4.18 को बैठक भी आयोजित की गई है।

निकट भविष्य में मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा मीटिंग ली जानी सम्भावित है, जिसमें एक बिन्दु सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों से सम्बन्धित भी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप परिवादों के प्रत्युत्तर मय सम्बन्धित दस्तावेजात के शीघ्र अपलोड करे, ताकि प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.10( )सर्त./C.M. Helpline/राजसम्पर्क/आईसीडीएस/2017/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

(1) शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
(2) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ0 अनुराधा गोगिया)
उप निदेशक (वि.खा.का.)